अध्याय
02

भारतीय संविधान में अधिकार

अधिकार

अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना कोई भी मनुष्य अपना विकास नहीं कर सकता है। अधिकार यह हक है जो एक आदमी को जीवन जीने के लिए चाहिए, जिसकी वह मांग करता है।

अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों के अधिकारों को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया जाता है ऐसे सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहा जाता है इसकी मांग 1928 में जवाहरलाल नेहरू ने उठाई थी।

मौलिक अधिकारों की आवश्यकता

- मौलिक अधिकार व्यक्ति के मूल विकास, एवं सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है।
- समाज में समानता स्वतंत्रता बंधुत्व , आर्थिक सामाजिक विकास लाने में सहयोग प्रदान करते हैं।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

- 2000 ईस्वी में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ।
- इस आयोग की सदस्य एक भूतपूर्व सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश एक भूतपूर्व उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश तथा मानव अधिकारों के संबंध में ज्ञान रखने या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले 2 सदस्य होते हैं।
- राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का कार्य शिकायतें सुनना जांच करना तथा पीड़ित को राहत पहुंचाना है।

© JCERT not to be republished

भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार

- भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता नायकों द्वारा नागरिक अधिकारों की मांग समय-समय पर उठाई जाती रही।
- 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू समिति ने नागरिकों के अधिकारों की एक घोषणापत्र की मांग उठाई थी।

सामान्य अधिकार

वे अधिकार जो साधारण कानूनों की सहायता से लागू किए जाते हैं तथा इन अधिकारों में संसद कानून बनाकर के परिवर्तन कर सकती है।

मौलिक अधिकार

वे अधिकार जो संविधान में सूचीबद्ध किया गया है तथा जिन को लागू करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। सरकार का कोई भी अंग मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता है।

मौलिक अधिकारों के प्रकार

- समानता का अधिकार (14-18)
- स्वतंत्रता का अधिकार (19-22)
- शोषण के विरुद्ध अधिकार (23-24)
- धार्मिक स्वतंत्रता का अधिका र(25-28)
- संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार (29-30
- संवैधानिक उपचारों का अधिकार (32)

© JCERT not to be republished

समानता का अधिकार

- अनुच्छेद 14— इसमें बिना किसी भेदभाव के गारंटी कानून समानता और समान कानूनी सुरक्षा प्राप्त करने की बात कही गई है।
- अनुच्छेद 15— इसमें सरकार बिना किसी भेदभाव के धर्म जाति लिंग या जन्म स्थान के आधार पर अधिकार देने की बात कही गई है।
- अनुच्छेद 16— इसमें बिना किसी भेदभाव के सरकार द्वारा सार्वजनिक नियुक्तियों में अवसर की समानता देने की बात कही गई है।
- अनुच्छेद 17— किस अनुच्छेद में सरकार द्वारा समाज में छुआछूत की समाप्ति की बात कही गई है।
- अनुच्छेद 18— इस अनुच्छेद में सैनिक एवं शैक्षिक उपाधियों के अलावा किसी अन्य उपाधि पर रोक की बात कही गई है।

स्वतंत्रता का अधिकार

- अनुच्छेद19— इस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संघ बनाने, सभा करने, पूरे भारत देश में भ्रमण भारत के, किसी भी भाग में बसने और स्वतंत्रता पूर्वक कोई भी व्यवसाय अपनाने की बात कही गई है।
- अनुच्छेद 20— इस अनुच्छेद में किसी अपराध में अभियुक्त को संरक्षण प्रदान करने की बात कही गई है।
- अनुच्छेद 21— इस अनुच्छेद में कानूनी प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी व्यक्ति को जीने की स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है।
- अनुच्छेद 21(क) — यह 86 वां संविधान संशोधन विधेयक है इसमें 6-14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की बात कही गई है।
- अनुच्छेद 22— इस अनुच्छेद में किसी भी नागरिक की विशेष मामलों में गिरफ्तारी एवं हिरासत से सुरक्षा प्रदान करने की बात कही गई है।

© JCERT not to be republished

शोषण के विरुद्ध अधिकार

- अनुच्छेद 23— इसमें मानव व्यापार और बल प्रयोग द्वारा बेगारी, बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध की बात कही गई है।
- अनुच्छेद 24— इसमें खदानो कारखानो और खतरनाक कामों में बच्चों की मनाही की बात कही गई है।

धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार

- अनुच्छेद 25— इस अनुच्छेद में अपने अपने धर्म को मानने पालन करने एवं प्रचार प्रसार करने का अधिकार की बात कहीं गई है।
- अनुच्छेद 26— इसमें धार्मिक एवं परोपकारी कार्य करने वाली संस्थाओं को स्थापित करने की बात कही गई है।
- अनुच्छेद 27— इस अनुच्छेद में धर्म प्रचार एवं धार्मिक संप्रदाय की देखरेख के लिए कर देने के लिए मजबूर नहीं करने की बात कहीं गई है
- अनुच्छेद 28— इसमें यह बात कही गई है कि किसी भी सरकारी शिक्षण संस्थान में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी।

संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार

- अनुच्छेद 29— इस अनुच्छेद में भारत के किसी भी राज्य के नागरिकों को अपने विशेष भाषा लिपि एवं संस्कृति को बनाए रखने की बात कही गई है।
- अनुच्छेद 30—इसके अंतर्गत भाषा तथा धार्मिक अल्पसंख्यक को शिक्षक संस्थाओं की स्थापना तथा उनके प्रशासन का अधिकार की बात कही गई है

© JCERT not to be republished

संवैधानिक उपचारों का अधिकार

- अनुच्छेद 32—संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस अधिकार को" संविधान का हृदय और आत्मा" की संज्ञा दी है। इसके अंतर्गत न्यायलय कई विशेष आदेश जारी करते हैं जिन्हें रिट कहा जाता है।
- बंदी प्रत्यक्षीकरण—न्यायालय द्वारा किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय या जज के सामने उपस्थित होने संबंधी आदेश दिया जाना बंदी प्रत्यक्षीकरण कहलाता है।
- परमादेश—इसके अंतर्गत यदि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने पद का निर्वहन नहीं करता है तो न्यायालय उससे कर्तव्य पालन कि आज्ञा दे सकता है।
- प्रतिषेध— इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के द्वारा निम्न या अधीनस्थ न्यायालयों को किसी भी मामले में सुनवाई स्थगित करने के लिए कहा जाता है।
- अधिकार परीच्छा—इसका अर्थ यह है कि "आपका अधिकार क्या है" यह रिट तब जारी की जाती है जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पर बिना किसी अधिकार के कार्य करता है तो न्यायालय इस रिट के द्वारा उसके अधिकार के बारे में जानकारी प्राप्त करती है, उस व्यक्ति के उत्तर से संतुष्ट न होने पर न्यायालय उसके कार्य करने पर रोक लगा सकती है।
- उत्प्रेषन—इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अर्ध न्यायिक प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए आदेश को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण रिट को जारी किया जाता है।

दक्षिण अफ्रीका का संशोधन

- दक्षिण अफ्रीका का संविधान संशोधन 1996 ईस्वी में लागू हुआ जब रंगभेद वाली सरकार के हटने के बाद देश गृहयुद्ध के के खतरे से जूझ रहा था, दक्षिण अफ्रीका में अधिकारों की घोषणा पत्र लोकतंत्र की आधारशिला है।

© NCERT not to be republished

दक्षिण अफ्रीका के संविधान में सूचीबद्ध प्रमुख अधिकार

- गरिमा का अधिकार
- निजता का अधिकार
- स्वास्थ्य पर्यावरण और पर्यावरण संरक्षण का अधिकार
- समुचित आवास का अधिकार
- स्वास्थ्य सुविधाएं, भोजन, जल और सामाजिक सुरक्षा का अधिकार
- बाल अधिकार
- बुनियादी और उच्च शिक्षा का अधिकार
- सूचना प्राप्त करने का अधिकार
- सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई समुदायों का अधिकार

राज्य के नीति निर्देशक तत्व

- स्वतंत्र भारत में सभी नागरिकों में समानता लाने और सब के कल्याण के लिए मौलिक अधिकारों के अलावा बहुत से नियमों की जरूरत थी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत ऐसे ही निर्देश सरकार को दिए गए हैं जिनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है परंतु इन्हें लागू करने के लिए सरकार से आग्रह किया जा सकता है।
- नीति निर्देशक तत्व के तहत वे लक्ष्य और उद्देश्य जो एक समाज के रूप में हमें स्वीकार करने चाहिए।
- वे अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अलावा मिलना चाहिए।
- वे नीतियां जिन्हें सरकार को स्वीकार करना चाहिए।

© JCERT not to be republished

नागरिकों के मौलिक कर्तव्य

- 1976 में 42 वे संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्य की सूची अनुच्छेद 51 (क) का समावेश किया गया है।
- संविधान का पालन करना, राष्ट्रध्वज राष्ट्रगान का सम्मान करना।
- भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना।
- राष्ट्र की रक्षा एवं सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहना।
- नागरिकों में भाईचारे का निर्माण करना।
- हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझें और उसको बनाए रखें।
- प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करें।
- वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें।
- सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाएं और हिंसा से दूर रहे।
- व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों उत्कर्ष की भावना कि और बढ़ने का प्रयास करें।
- 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चे के माता-पिता को अपने बच्चे को शिक्षा दिलाने के लिए अवसर उपलब्ध कराना।

© JCERT not to be republished

नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में संबंध

- दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जहां मौलिक अधिकार सरकार के कुछ कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं, तो नीति निर्देशक तत्व उससे कुछ कार्यों को करने की प्रेरणा देते हैं।
- मौलिक अधिकार खास तौर पर व्यक्ति के अधिकार को संरक्षित करते हैं, नीति निर्देशक तत्व पूरे समाज के हित की बात करते हैं।

नीति निर्देशक तत्वों एवं मौलिक अधिकारों में अंतर

- जहां मौलिक अधिकारों को कानूनी सहयोग प्राप्त है लेकिन नीति निर्देशक तत्वों को कानूनी सहयोग प्राप्त नहीं है। अर्थात मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर आप न्यायालय जा सकते हैं परंतु नीति निर्देशक तत्वों के उल्लंघन पर आप न्यायालय नहीं जा सकते है ।
- मौलिक अधिकारों का संबंध व्यक्तियों और नीति निर्देशक सिद्धांतों का संबंध समाज से है।
- मौलिक अधिकारों को प्राप्त किया जा चुका है लेकिन नीति निदेशक सिद्धांतों को अभी तक लागू नहीं किया गया है।
- मौलिक अधिकारों का उद्देश्य देश में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है जबकि नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है।
- मौलिक अधिकार व्यक्ति के कल्याण को बढ़ावा देते हैं जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत समुदाय के कल्याण को बढ़ावा देता है।

बंधुआ मजदूरी

- इसमें जमीदारों सूदखोरों और अन्य धनी लोगों द्वारा गरीबों से पीढ़ी दर पीढ़ी मजदूरी करवाया जाता है। अब इससे अपराध घोषित कर दिया गया।

© JCERT not to be republished

अभ्यास के प्रश्न

प्रश्न 1. स्वतंत्रता से क्या आशय है? क्या व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता और राष्ट्र के लिए स्वतंत्रता में कोई संबंध है?

उत्तर व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है। बारी प्रतिबंधों का अभाव और ऐसी स्थितियों का होना जिसमें लोग अपनी प्रतिभा का विकास कर सके ,स्वतंत्रता के यह दोनों ही पहलू महत्वपूर्ण है। एक स्वतंत्र समाज वह होगा जो अपने सदस्यों को न्यूनतम सामाजिक अवरोधों के साथ अपनी संभावनाओं के विकास में समर्थ बनाएगा।

राष्ट्र की स्वतंत्रता और व्यक्ति की स्वतंत्रता में घनिष्ठ संबंध है। यदि राष्ट्र स्वतंत्र नहीं होगा तो व्यक्ति की स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। स्वतंत्र राष्ट्र में ही व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास और उत्तरदायित्व का निर्वाह भली-भांति कर सकता है।

प्रश्न 2. स्वतंत्रता के नकारात्मक और सकारात्मक अवधारणा में क्या अंतर है?

उत्तर सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्ष धरो का मानना है कि व्यक्ति केवल समाज में ही स्वतंत्र हो सकता है। समाज से बाहर नहीं और इसीलिए इस समाज को ऐसा बनाने का प्रयास करते हैं जो व्यक्ति के विकास का मार्ग प्रशस्त करें। दूसरी और नकारात्मक स्वतंत्रता का संबंध अहस्तक्षेप अनु लगनिया क्षेत्र से है इस क्षेत्र से बाहर समाज की स्थितियों से नहीं। नकारात्मक स्वतंत्रता और हस्तक्षेप के इस छोटे क्षेत्र का अधिकतम विस्तार करना चाहेगी। साधारणतया दोनों प्रकार की स्वतंत्रता है साथ साथ चलती हैं और एक दूसरे का समर्थन करती हैं।

प्रश्न 3. सामाजिक प्रतिबंधों से क्या आशय है ?क्या किसी भी प्रकार के प्रतिबंध स्वतंत्रता के लिए आवश्यक हैं?

उत्तर सामाजिक प्रतिबंधों से आशय है वे प्रतिबंध जिनसे समाज की व्यवस्था भंग ना हो और समाज निरंतर गतिशील रहे। स्वतंत्रता मानव समाज की केंद्र में है और गरिमा पूर्ण मानव जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए स्वतंत्रता पर प्रतिबंध विशेष परिस्थिति में में लगाए जा सकते हैं। प्रतिबंध स्वतंत्रता के लिए अत्यंत आवश्यक है बिना प्रतिबंधों के स्वतंत्रता उद्दंडता में बदल जाएगी।

प्रश्न 4. नागरिकों की स्वतंत्रता को बनाए रखने में राज्य की क्या भूमिका है?

उत्तर नागरिकों की स्वतंत्रता बनाए रखने में राज्य की भूमिका को निम्नलिखित बिंदुओं में स्पष्ट किया जा सकता है—

यदि नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करनी है तो राज्य द्वारा नागरिकों के कार्यों पर नियंत्रण किया जाना चाहिए । राज्य का कर्तव्य है कि वह व्यक्ति को ऐसे कार्यों को करने से रोक दें जो दूसरे के हितों का उल्लंघन करते हैं। राज्य न्यायालयों के माध्यम से व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं।

© JCERT not to be republished

राज्य में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की स्थापना से नागरिकों को अनेक स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती हैं।

राज्य व्यक्तियों को विभिन्न अधिकार प्रदान कर उनकी स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है।

प्रश्न 5. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? आपकी राय में इस स्वतंत्रता पर समुचित प्रतिबंध क्या होंगे? उदाहरण सहित बताइए?

उत्तर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से आशय यह है कि प्रत्येक नागरिक को विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है परंतु सत्य है कि अभिव्यक्ति समाज में अव्यवस्था उत्पन्न ना करें। अपने विचार पत्र-पत्रिकाओं समाचार पत्रों में प्रकाशित करने और करवाने की दृष्टि से लेखक और प्रकाशक दोनों स्वतंत्र हैं। लेकिन यह विचार अश्लील और विघटनकारी नहीं होनी चाहिए।

प्रश्न उत्तर

बहुविकल्पीय प्रश्न

प्रश्न 1. वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं?

a. 6 b. 7

c. 8 d. 9

प्रश्न 2 मौलिक अधिकारों के संशोधन कौन कर सकता है?

a. लोकसभा

b. राष्ट्रपति

c. सर्वोच्च न्यायालय

d. संसद

प्रश्न 3. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में छुआछूत को समाप्त कर देने की व्यवस्था है?

a. अनुच्छेद 14

b. अनुच्छेद 18

c. अनुच्छेद 15

d. अनुच्छेद 17

© JCERT not to be republished

प्रश्न 4. संविधान का 42वां संशोधन कब हुआ?

a. 1976 b. 1977

c. 1978 d. 1980

प्रश्न 5. मोतीलाल नेहरू समिति ने मौलिक अधिकारों के घोषणा पत्र की मांग कब उठाई थी?

a. 1925 b. 1926

c. 1927 d. 1928

लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 6. मौलिक अधिकारों तथा नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है?

प्रश्न 7. संवैधानिक उपचारों के अधिकार को स्पष्ट कीजिए?

प्रश्न 8. धर्म स्वतंत्रता के क्या अधिकार है?

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 9. नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का वर्णन करें?

प्रश्न 10. भारतीय संविधान में वर्णित नागरिकों के मौलिक अधिकारों में समानता के अधिकारों का वर्णन कीजिए?

© JCERT not to be republished